

क्रमांक : प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2018

जयपुर, दिनांक : 10-7-25-

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II में संशोधन।

राज्यपाल महोदय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing Item (iii) of Sl.No. 23 of Appendix-XIII (SoP) of PWF&AR Part-II shall be substituted as under :-

S.No.	PARTICULARS	TO WHOM DELEGATED
1	2	3
	(iii) For a final extension of time which results in slippage more than two times of the stipulated work order duration.	Next to Next Higher Authority Note: All extension of time cases where AD/FC of RWSSMB is Bid Sanctioning Authority shall be sanctioned by AD/FC of RWSSMB itself.



(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।



संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR - 105/2025)